"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258-ब] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2011—भाद्र 11, शक 1933

गृह (सी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005.—प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 2005 का 29) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्देश देती है कि अधिनियम के अधीन कर्तव्य या शक्ति का प्रयोग या निर्वहन, नीचे उल्लिखित विषयों के संबंध में, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा, अर्थात् :—

निर्देश

उक्त अधिनियम में,—

(1) (क) धारा 7, धारा 8, धारा 13, धारा 15 की उप-धारा (2) एवं धारा 16 के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं निर्वहन, प्रभारी अधिकारी, गुप्तवार्ता शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा भी किया जायेगा.

(ख) धारा 16 के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं निर्वहन, सभी जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार में किया जायेगा.

(2) प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने के तुरन्त पश्चात् गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा संबंधित जिला (जिलों) के जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को प्रभारी अधिकारी, गुप्तवार्ता शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सूचना दी जायेगी.

(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा उक्त तिथि पर लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए भी लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2011

क्रमांक एफ 4-325/गृह-सी/2005.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 02-09-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

Raipur, the 2nd September 2011

NOTIFICATION

No. F 4-325/Home-C/2005.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Central Act No. 29 of 2005), the State Gover[illegible]ment, hereby, directs that power or function, under the Act, relating to matters mentioned below shall be also [illegible]d or performed by the following officers, namely :—

DIRECTION

In the said Act,—

(1) (A) Powers conferred and duties imposed on the Controlling Authority under Section 7, 8, 13, sub-section (2) of Section 15 and Section 16 shall also be exercised and performed by the Officer In-charge of Intelligence Branch, Police Headquarter, Raipur, Chhattisgarh ;

(B) Powers conferred and duties imposed on the Controlling Authority under Section 16 shall also be exercised and performed by all District Magistrates and Superintendent of Police in their respective jurisdiction.

(2) Immediately, after granting a license under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005, the Officer In-charge of Intelligence Branch, Police Headquarter, Raipur, Chhattisgarh shall inform the Home Department, Government of Chhattisgarh, District Magistrates and the Superintendent of Police of the Districts concerned.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazetted and shall also be applicable to the applications pending disposal on the said date.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. N. UPPADHAYAY, Secreta[illegible]

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.